9
क्षेत्रीय कार्यालय–उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 585/NGT-176/OA-176/2023 दिनांक 12/7/2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Status report in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 12.04.2023 in OA No-290/2023 Shubham Jadia Versus State of U.P.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above the status report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 12.04.2023 in OA No-290/2023 Shubham Jadia Versus State of U.P. Status report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Status report.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 290 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Shubham Jadia ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 12.04.2023 in OA 290/2023	1-7
2	**Annexure-I** – Consent to Established on 14.01.2009 M/s. Aggarwal Associates (Promoters) Ltd.	8-11
3	**Annexure-II**- Consent to Operate upto 31.12.2012 M/s. Aggarwal Associates (Promoters) Ltd.	12-28
4	**Annexure-III** - Notices to M/s Aditya Builders and Developers, President, AoA, Aditya Mega City Building Association and Aditya Mall Traders Association on 17.06.2023.	29-34
5	**Annexure-IV** – Copy of reply submitted by M/s Agarwal Associates (Promoters) Limited on 28.06.2023.	35-64

FILED BY

(Vikas Mishra)
Regional Officer, UPPCB
Ghaziabad

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 290/2023

In the matter of:

Shubham Jadia ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent

STATUS REPORT ON BEHALF OF THE JOINT COMMITTEE OF DISTRICT ADMINISTRATION, GHAZIABAD, CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD AND UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD WITH RESPECT TO ORDER DATED 12.04.2023.

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That, the instant matter was taken up by this Hon'ble Tribunal on basis of an application filed with regards to unauthorized/illegal use of Diesel Generator Sets located and operated on the roof top.
2. That, Hon'ble Tribunal perused the said complaint and in view of the grievances made in the application constituted a Joint Committee of CPCB, Delhi, State PCB and District Magistrate, Ghaziabad for verification of factual position and initiating remedial action in case of violation of environmental norms. Relevant operative part of the said order reads as under:-

   "...In view of above, let a joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, Ghaziabad look into the matter and after verification of facts take remedial action against unscientific and illegal operation of the DG set in question, following due process of law. State PCB will be the nodal agency for coordination

and compliance. An action taken report may be filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The report may mention about permissibility of DG sets on the terrace and norms for Type Approval (TA), emission standards, stack height, fuel quality used, noise control and consent granted..."

3. That, in compliance of above-mentioned orders of Hon'ble Tribunal, the Joint Committee comprising of Shri Gambhir Singh, Additional District Magistrate (City), Shri C.K. Dixit, Scientist-C, CPCB, Delhi, Shri Utsav Sharma, Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad, Shri Navneet Kumar Pandey, Assistant Environment Engineer, UPPCB, Ghaziabad and Shri Ankit Chaudhary, Junior Engineer, UPPCB, Ghaziabad carried out the site visit of M/s Aditya City Center Mall and M/s Aditya Mega City at Indrapuram, Ghaziabad on 06.06.2023 for factual verification of averments made in the complaint.
4. That, it has been brought to the notice of the Committee by representative present on behalf of AACBD Maintenance Services Private Limited that the Aditya Mega City Project developed by M/s Agarwal Associates (Promoters) Limited and has presently been handed over to AoA and Traders Association.
5. That the said project had obtained Consent to Establish from the State Board on 14.01.2009 **(Annexure I)** and had a valid Consent to Operate up to 31.12.2012 **(Annexure II).** The said Consent to Operate has not been renewed thereafter.
6. Mr. Vijay Sharma (G.M Projects) informed the Committee that earlier the DG Sets were situated on roof top but have been removed on 08-05-2023 and new Gensets based on dual fuel as approved by Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas are under installation on the ground floor. All these gensets are on rental basis.

7. That, it has been noted that previously on the roof top there were two numbers of D.G. sets of 500KvA and one number of D.G. set of 1000KvA. During visit no genset found installed on roof top. However, presently the concerned management is in process of installation of one D.G set of 1500KvA and one D.G. set of 500KvA at ground floor, based on dual fuel technology with necessary stack for emission dispersion. Photo graphs taken on site are as below:-

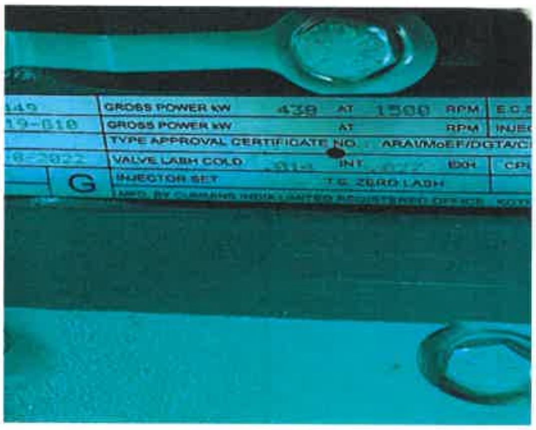

8. That, it has been seen that there is a residential society named Aditya Mega City which was part of the "Aditya Mega City" project in Indirapuram. Four numbers of DG sets have been found installed in this residential society with a total output of 2100 KvA. Details of DG sets are as follows : -

- Company Make – Kirloskar
- Manufacturing Year – 2012
- 500 KvA = 3 nos. and 600 KvA = 1 nos.

9. That, the Consent to operate obtained by the promoters was for the entire project which included the commercial as well as residential complexes.

10. That, it has been noted that the stack height of all the DG sets installed in the residential society is at breathable height which is the violation of norms of CPCB and State Pollution Control Board. Photo graphs have been presented below:-

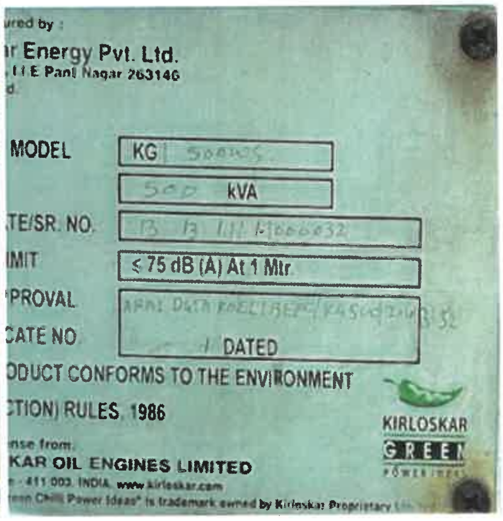

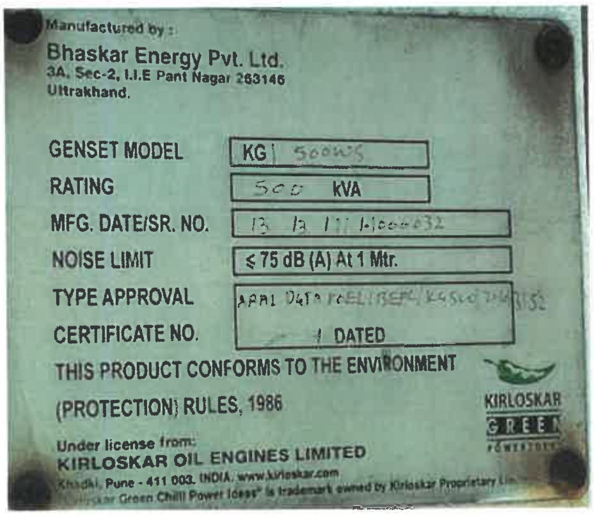

11. That, the State Board had issued notices to M/s Aditya Builders and Developers, President, AoA, Aditya Mega City Building Association and Aditya Mall Traders Association on 17.06.2023 to obtain their perspective in view of present violation and operation of DG Sets without obtaining Consent to Operate from the State Board. Copy of said letters is annexed as ***Annexure III.***

12. That, the reply has been received from M/s Agarwal Associates (Promoters) Limited on 28.06.2023 and in said reply they have submitted that the residential society's nomenclature is 'Aditya Mega City' and that of the commercial establishment is 'Aditya City Center' and same was developed by them as per sanctioned plans of Ghaziabad Development Authority.

13. That the Promoters of said project have also stated that in view of letter dated 13.06.2012 of Ghaziabad Development Authority, the Aditya Mega City Project was handed over to the residents on 30.06.2012 and the onus of facility management, common areas, DG sets among other maintenance does not lie in their purview after that.

14. Also, it has been submitted that the promoters developed freehold shops in Aditya City Center and the onus of facility management, common areas, DG sets among other maintenance has been handed over to AACBD Maintenance Services Private Limited through individual owners/association. The association for said premises has also been registered. Copy of reply submitted by M/s Agarwal Associates (Promoters) Limited on 28.06.2023 is annexed as ***Annexure IV.***

15. That with regards to sewage management, it has been submitted that the sewage is discharged through the sewer line and treated by the terminal STP of 56 MLD in Indrapuram. Presently, influent of around 45-50 MLD is being treated in the said STP is around and it is complying with discharge norms.

16. That the reply from AoA, Aditya Mega City Building Association and Aditya Mall Traders Association has not been received and same shall be perused by the Committee and action shall be proposed accordingly as per extant environmental laws.

The interim report in the said matter may kindly be taken on record.

(N.K. Pandey) Asst. Env. Engineer UPPCB, Ghaziabad	(C.K. Dixit) Scientist-C, CPCB, Delhi	(Utsav Sharma) Regional Officer UPPCB, Ghaziabad	(Gambhir Singh) ADM (City) Ghaziabad

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F43027

संदर्भ संख्या .... /सी-१/एन०ओ०सी०/जी-५७९/२००९ दिनांक 14-1-09

सेवा में,

मे0 मैसर्स आदित्य मेगा सिटी,
भारत भवन, १० नई राजधानी इन्क्लेव,
विकास मार्ग, दिल्ली ।
....
....

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु~~ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक.......२०/८/०८............ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : प्लाट संख्या सी.जी.एच.-०३
वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम,
गाजियाबाद।

(ख) उत्पादन : ११४० फ्लेटे की आवासीय कालोनी, शाप, आफिस,
शोरूम, डिस्कोथेक, हाइपर मार्केट, स्कूल, मल्टीप्लेक्स एवं
फूडकोर्ट

(ग) मुख्य कच्चे माल : ....
.... शून्य ....
....

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : .... शून्य ....
....
....

(ङ.) प्रयुक्त ईधन : .... डी०जी०सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार ....
....
....

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ....7.84 कि०लीटर/दिन.... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....३०/६/२००९.......... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. मैसर्स अदित्य मेगा सिटी, द्वारा प्लाट संख्या सी०जी०एच०-०१, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा ११४० फ्लैट की आवासीय कालोनी, शाप, आफिस, शो रूम, डिस्कोथेक हाइपर मार्केट स्कूल, मल्टीप्लेक्स एवं फूडकोर्ट का निर्माण किया जाये।

८- मैसर्स अदित्य मेगा सिटी द्वारा प्रस्ताव के अनुसार सीवेज को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकृत कर उत्प्रवाह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सीवेज लाइन में निस्तारित किया जाये।

९- सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रस्तावानुसार किया जाये।

१०- समस्त प्रस्तावित डी०जी० सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जाये।

११- मैसर्स अदित्य मेगा सिटी, द्वारा प्लाट सं० सी०जी०एच०-१, वैभव खण्ड इन्दिरापुरम, गाजियाबाद प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१२- उद्योग/संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१३- उद्योग/संस्था को यह एन०ओ०सी० जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम १९८१ के प्राविधानों के अन्तगर्त निर्गत किया जा रहा है।

१४- ऊर्जा संरक्षण हेतु स्ट्रीट लाइट आदि में यथासंभव सोलर इनर्जी आधारित तकनीकी का प्रयोग किया जाये।

१५- बैंक गारन्टी की शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में प्रेषित बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत् कार्यवाही भी की जा सकती है।

१६- इस अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैंक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम तक जो पूर्व हो मान्य होगी ।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ....३०/६/२००९........ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

14/1/9

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :........गाजियाबाद........

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :........गाजियाबाद........

4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त........१........)

क्षेत्रीय कार्यालय फोन : 2883720

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

पंजीकृत

संदर्भ संख्या 2294/ A-473/11 दिनांक 29-8-11

सेवा में,

मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएटस (प्रमोटर्स) लि0)
प्लाट नं0 सी.जी.एच.-3, वैभव खण्ड, इन्द्रिरापुरम,
गाजियाबाद।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक 30-06-2011 के साथ संलग्न आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 134 दिनांक 29-8-11 संलग्न हैं। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं0 1,2,3,5,6,11,12 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तो तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।

3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वीं नाच या कोई मापक यंत्र लगवायें, वी नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय - समय पर प्रेषित करें।

4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाईन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रषित करें।

5. आपकी उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2010-2011 की बैलेसशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।

6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।

7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हों।

9. उचित मात्रा में वृक्षरोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेंजे।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

11- इकाई द्वारा बोर्ड से निर्गत NOC की शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाए। तथा उत्प्रवाह का अंतिम निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए।

12- परिसर से जनित ठोस अपशिष्ट/M.S.W का समुचित निस्तारण किया जाए तथा इसका दैनिक रिकार्ड मेन्टेन कर त्रैमासिक विवरण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए।

इस सहमति आवेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 सं0 ....

तद् दिनांक ....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त एक), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

कवेल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान / बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या 134 सहमति/जल आदेश/ A-473 लखनऊ, दिनांक 29-8-11

विषय : मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएटस (प्रमोटर्स) लि0), सी.जी.एच.-3, वैभव खण्ड, इन्द्रिरापुरम, गाजियाबाद। को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति। शून्य 30–06–2011

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या...................... दिनांक..................

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहि:श्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में उक्त को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिस्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुऐं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 30–06–2011 से 31–12–2012 के लिए मान्य होगी।
"यह सहमति इक्तीस दिसम्बर दो हजार बारह तक मान्य है"

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/ सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हों, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

4. यह सहमति आदेश व्यवसायिक गतिविधियॉं, मल्टी-प्लैक्स, फूड कोर्ट एवं शापिंग माल हेतु मान्य है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

संलग्नक : अनुलग्नक

क्षेत्रीय अधिकारी

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद

सहमति आदेश से .... सहमति / दिनांक .... का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारण होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण $मी^3$	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण $मी^3$
(i) घरेलू ......604 कि०ली०/दिन......		
(ii) औद्योगिक ......शून्य......		
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के जल सहित ......शून्य......		
(ब) शीतलन जल ......रिसाइकिल......		

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह, टर्मिनल, मेनहोल, के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टॉम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो

20^0 से पर 5 दिन की बी. ओ. डी. — 30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो

कुल निलम्बित ठोस — 100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूने संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX 15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेंम्बर होने चाहियें। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिये।

10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जाये।

11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल, मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बंध में एक माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथ इसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।

13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखांकित उत्प्रवाह ले जाने वाली लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9, व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखांकित इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाति रखा जाये और किसी बिंदु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफान जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले में ढेर न लगाया जायें।

15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थो का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिसमें कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।

(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाए।

16. विषैले पदार्थो का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरिक्षत क्षेत्रों में मुहरबंद स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जायें। विषमुक्त करने या दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाऐ।

17. यदि फैक्टरी के किसी संयंत्र / संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और / या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लघंन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।

18. प्रार्थी फैक्टी के अन्दर व परिसर में अच्छा रख रखाव स्थापित करें / सभी पाइप, बल्ब, सीवर और ड्रन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती / तूफानी जल की नाली या खुलेस्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आंख्या बोर्ड में जमा की जाए।

21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति में दिए गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करें। प्रार्थी/ कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/ या इस सहमति ओदेश की शर्तो का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदलें या परिवर्तन न करें।

23. उपरोक्त शर्ते जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिंदू के चालू होने और/ या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लोन सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।

27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।

28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पतें व टेलीफोन की सूची दी जाए।

29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उप्ररोक्त वार्णित किसी भी / सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय फोन : 2883720

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

संदर्भ संख्या 2290/A-4773/11 पंजीकृत

दिनांक 29.8.11

सेवा में,

मै0 आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएटस (प्रमोटर्स) लि0)
~~प्लाट नं0 सी-जी-एच -3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम्~~
गाजियाबाद ।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा -21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने पत्र दिनांक 30-06-2011 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और सशर्त सहमति आदेश संख्या .... सहमति (वायु) आदेश/ 146 दिनांक 29.8.11 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,2,3,4,6,7,8,9 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. 1000/500/380 के0 वी0 ए0 क्षमता के डी0 जी0 सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से 6.5/4.5/4.0 मी0 ऊँचाई किया जाए। अनुपालन आख्या तीन माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3. फ्लू गैस/प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु की गुणता की अनुश्रवण आख्या इस प्राप्ति के .... माह के अन्दर प्रषित करना सुनिश्चित करें।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे एकॉस्टिक व्यवस्था एवं चिमनी का प्राविधान, सचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाए, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप हों।

5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं उत्सर्जन की मात्रा के लिए मान्य है।

9. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।

10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

12. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

13. रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जायें।

14. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

15. ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण हेतु डी0जी0 सेट पर एक्वास्टिक इन्क्लोजर स्थापित किया जाये।

16- इकाई / संस्था द्वारा सभी चिमनियों के सापेक्ष प्रणाली को बोर्ड मानकों के अनुरूप ऊँचा किए जाने हेतु प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार कार्य को तीन माह में पूर्ण करें, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण व्याख्या तीन माह में प्रस्तुत की जाए/अन्यथा यह सहमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या ..../वायु प्रदूषण ....तद् दिनांक ....

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत एक) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

फोन : 2883720

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 156 /सहमति (वायु) आदेश/ F-473 लखनऊ, दिनांक 29-8-11

विषय : सहमति मै0 आदित्या मेगा सिटी(अग्रवाल एसोसिएटस(प्रमोटर्स) लि.),सी.जी.एच.-3,वैभव खण्ड, इन्द्रिरापुरम, गाज़ियाबाद।
वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा -21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ :- आवेदन संख्या शून्य दिनांक 30-06-2011

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 उपरा को अपने संयंत्रो से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 30-06-2011 से 31-12-2012 अवधि तक मान्य है।

"यह सहमति इक्तीस दिसम्बर दो हजार बारह तक मान्य है"

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा 21 (6) में तथा संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड के लिए आरक्षित है।

4. यह सहमति आदेश व्यवसायिक गतिविधियों, मल्टी-प्लेक्स, फूड कोर्ट एवं शापिंग माल हेतु मान्य है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

गाजियाबाद

संलग्नक सहमति आवेश संख्या .... सहमति/(वायु) ओवश/..............................

दिनांक.........................

सहमति शर्ते

1. फ्लू गैस की प्रति घंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होनी चाहिए।

सम्बद्ध चिमनी

[i] – डी०जी० सेट – 1000 KVA X 2 Nos = छत से 6.5 मीटर

[ii] " " 500 KVA X 3 Nos = छत से 4.5 मीटर

[iii] " " 380 KVA X 2 Nos = छत से 4.0 मीटर

[iv]

[v]

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न बोर्ड मानकों के अनुरूप हो:-

मानक संलग्न

[i]	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट (एस.पी.एम.)	150 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंग कापर आदि) हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड, सल्फेट मिन्ट	-
[iii]	सल्फर डाई आक्साइड	-
[iv]	कार्बन मोनोआक्साइड	-
[v]	हाइड्रोकार्बन	-
[vi]	अमोनिया	-
[vii]	फ्लोरीन	-
[viii]	मरकैप्टेन	-
[ix]		-

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालको की मात्रा भी मानकों के अनुरूप है।

क्षेत्रीय कार्यालय
फोन : 2883720

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या ......146....../सहमति (वायु) आदेश/.......4973.......लखनऊ, दिनांक .....29-8-11.....

विषय : सहमति मै0 .... आदित्या मैगा सिटी(अग्रवाल एसोसिएटस(प्रमोटर्स) लि.),सी.जी.एच.-3,वैभव खण्ड, इन्द्रिरापुरम, गाजियाबाद।

वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा -21/22 के अन्तर्गत

संदर्भ :- आवेदन संख्या ....शून्य.......... दिनांक 30-06-2011

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 ....उपरा.......... को अपने संयंत्रो से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक ....30-06-2011.......... से ....31-12-2012..... अवधि तक मान्य है।

"यह सहमति इक्तीस दिसम्बर दो हजार बारह तक मान्य है"

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा 21 (6) में तथा संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड के लिए आरक्षित है।

4. यह सहमति आदेश व्यवसायिक गतिविधियों, मल्टी-प्लेक्स, फूड कोर्ट एवं शापिंग माल हेतु मान्य है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

गाजियाबाद

संलग्नक सहमति आवेश संख्या ....सहमति/(वायु) ओवश/............................

दिनांक.......................

सहमति शर्ते

1. फ्लू गैस की प्रति घंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होनी चाहिए।

सम्बद्ध चिमनी

[i] – डी0 जी0 सेट – 1000 KVA x 2 Nos = छत से 6.5 मीटर

[ii] " " 500 KVA x 3 Nos = छत से 4.5 मीटर

[iii] " " 300 KVA x 2 Nos = छत से 4.0 मीटर

[iv]

[v]

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न बोर्ड मानकों के अनुरूप हो:-

मानक संलग्न

[i]	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट (एस.पी.एम.)	150 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंग कापर आदि) हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड, सल्फेट मिन्ट	
[iii]	सल्फर डाई आक्साइड	–
[iv]	कार्बन मोनोआक्साइड	–
[v]	हाइड्रोकार्बन	–
[vi]	अमोनिया	–
[vii]	फ्लोरीन	–
[viii]	मरकैप्टेन	–
[ix]		–

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालको की मात्रा भी मानकों के अनुरूप है।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु सयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।-

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण सयंत्रो को कार्यरत में, इकाई में रखा जाये।

7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।

8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाये।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तो का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा - 29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा - 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त किसी ''अन्य आउट लेट'' से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा की इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15. आवेदनकर्त्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों / आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश / निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता/ इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता / बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण सयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

UPPCB

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 456/NGT-176/2023 **दिनांक** 17/06/2023

सेवा में,

आदित्या मॉल ट्रेडर्स एसोसिऐशन,
प्लाट संख्या सी0जी0एच–03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम,
गाजियाबाद।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290/2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290/2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 को निम्न आदेश आदेश पारित किये गये है:–

"Grievance in this application is against operation of D.G. set at Aditya Mega City, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad which is resulting in air pollution causing potential health hazards to the citizens. The applicant has referred to earlier orders of this Tribunal dated 08.04.2021 in O.A. No. 681/2018 dealing with air pollution in non-attainment cities. The tribunal noted the potential pollution by the DG sets and need for remedial action. The applicant has also filed photographs in support of the allegation....."

उक्त आदेश के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान मॉल में 02 डी0जी0 सेट क्षमता 1500 के0वी0ए0 का एक एवं 500 के0वी0ए0 क्षमता की स्थापना का कार्य होता पाया गया। परियोजना प्रतिनधि द्वारा अवगत कराया गया है कि डी0जी0 सेटों मे ईधन के रूप मे पी0एन0जी0 एवं डीजल का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है व पूर्व मे डी0जी0 सेट को छततल हटा कर भूतल पर दिनांक 08.05.2023 को स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय डी0जी सेटों पर मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नही पायी गयी, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे आपको निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे अपनी कार्ययोजना 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. परियोजना का संचालन राज्य बोर्ड से नियमानुसार जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना न किया जाये।
2. डी0जी0 सेटस पर सम्बद्ध चिमनी को निकटतम छत तल की ऊचाई से 0.2√ के0वी0ए0 ऊँचा किया जायें एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित अनुमन्य ईधन का ही प्रयोग किया जायें।

3. परियोजना द्वारा यदि राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी हो, तो उक्त की छायाप्रतियों सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित करें।

उक्त बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा मे निर्धारित समयावधि मे अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा मे परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित करते हुए वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 455 /NGT-176/2023 **दिनांक** 12/06/2023

सेवा में,

अध्यक्ष,
अपार्टमेन्ट ऑफ आनर्स,
आदित्या मेगा सिटी बिल्डिंग एसोसिऐशन,
प्लाट संख्या सी0जी0एच–03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290/2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290/2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 को निम्न आदेश आदेश पारित किये गये हैः–

"Grievance in this application is against operation of D.G. set at Aditya Mega City, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad which is resulting in air pollution causing potential health hazards to the citizens. The applicant has referred to earlier orders of this Tribunal dated 08.04.2021 in O.A. No. 681/2018 dealing with air pollution in non-attainment cities. The tribunal noted the potential pollution by the DG sets and need for remedial action. The applicant has also filed photographs in support of the allegation....."

उक्त आदेश के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान सोसायटी में 04 डी0जी0 सेट क्षमता 500 के0वी0ए0 के 03 एवं 600 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय डी0जी सेटों पर मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नही पायी गयी। निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की सहमति जल एवं वायु प्राप्त नही करायी गयी, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे आपको निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे अपनी कार्ययोजना 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. परियोजना का संचालन राज्य बोर्ड से नियमानुसार जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना न किया जाये।
2. डी0जी0 सेटस पर सम्बद्ध चिमनी को निकटतम छत तल की ऊचाई से 0.2√ के0वी0ए0 ऊँचा किया जायें एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित अनुमन्य ईधन का ही प्रयोग किया जायें।

3. परियोजना द्वारा यदि राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी हो, तो उक्त की छायाप्रतियों सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित करें।

उक्त बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा मे निर्धारित समयावधि मे अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा मे परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित करते हुए वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

क्षेत्रीय कार्यालय—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 454/NGT-176/2023 दिनांक 17/06/2023

सेवा में,

अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक
आदित्या बिल्डर्स एण्ड डबलपर्स,
10, न्यू राजधानी इन्क्लेव, विकास मार्ग,
दिल्ली—110092

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290 / 2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290 / 2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 को निम्न आदेश आदेश पारित किये गये है:—

"Grievance in this application is against operation of D.G. set at Aditya Mega City, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad which is resulting in air pollution causing potential health hazards to the citizens. The applicant has referred to earlier orders of this Tribunal dated 08.04.2021 in O.A. No. 681/2018 dealing with air pollution in non-attainment cities. The tribunal noted the potential pollution by the DG sets and need for remedial action. The applicant has also filed photographs in support of the allegation....."

उक्त आदेश के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान सोसायटी में 04 डी0जी0 सेट क्षमता 500 के0वी0ए0 के 03 एवं 600 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट एवं आदित्या सिटी सेन्टर मॉल में 1500 के0वी0ए0 एवं 600 के0वी0ए0 क्षमता के 02 डी0जी0 स्थापित पाये गया। निरीक्षण के समय डी0जी सेटों पर मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नही पायी गयी। निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की सहमति जल एवं वायु प्राप्त नही करायी गयी। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित नही है, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे आपको निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे अपनी कार्ययोजना 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें:—

1. परियोजना का संचालन राज्य बोर्ड से नियमानुसार जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना न किया जाये।
2. परियोजना द्वारा यदि राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी हो, तो उक्त की छायाप्रतियों सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित करें।

उक्त बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा मे निर्धारित समयावधि मे अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा मे परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित करते हुए वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

ANNEXURE-I/42

AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LIMITED

CIN : U51909DL1986PLC023729
Regd. Office : 10, New Rajdhani Enclave,Vikas Marg, Delhi-110092
Phones : 011-43432222, 43432210
Email : aaplimited1979@gmail.com

दिनांकः 27.06.2023

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201012

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 290/2023 शुभम जैसिया बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि हमें आपका पत्र सन्दर्भ संख्या 454/एन0जी0टी–176/2023 दिनांक 17.06.2023 दिनांक 23.06.2023 को प्राप्त हुआ है। हमारा कथन यह है कि मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लिमिटेड (कम्पनी) के द्वारा एक प्रोजेक्ट का निर्माण Plot No. C/GH-03, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 पर किया गया था। प्रोजेक्ट में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों प्रकार का विकास किया गया था। आवासीय विकास को आदित्य मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है तथा व्यवसायिक विकास को आदित्य सिटी सेन्टर के नाम से जाना जाता है। चूँकि दोनों प्रकार के विकास एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा थे इसलिए प्रोजेक्ट को सामूहिक तौर पर आदित्य मेगा सिटी के नाम से भी जाना जाता है।

कम्पनी के द्वारा आदित्य मेगा सिटी का हैण्डओवर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 357(ii) नियोजन अनुभाग/12 दिनांक 13.06.2012 के आदेशानुसार, दिनांक 30.06.2012 को आदित्य मेगा सिटी रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को कर दिया गया था, इसलिए आदित्य मेगा सिटी प्रोजेक्ट में कॉमन एरिया, फैसिलिटीज एवं अमेनिटीज, जेनरेटर के संचालन, रख–रखाव तथा जल एवं वायु सहमति की जिम्मेदारी आदित्य मेगा सिटी रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.06.2012 **संलग्नक–1** के तौर पर संलग्न है।

आदित्य सिटी सेन्टर में कम्पनी के द्वारा फ्रीहोल्ड दुकानों का निर्माण किया गया था तथा उपरोक्त प्रोजेक्ट्स का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा पत्रांक 264/मास्टर प्लान

अनुभाग/10 दिनांक 31.07.2010 को जारी किया गया था, सम्पूर्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि **संलग्नक–2** के तौर पर संलग्न है।

दुकानों का निर्माण करने के उपरान्त दुकानों को सुपर एरिया के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया था तथा आदित्य सिटी सेन्टर में कॉमन एरिया, फैसिलिटीज एवं अमेनिटीज के रख–रखाव के कार्य की जिम्मेदारी सभी फ्रीहोल्ड दुकान मालिकों के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर एवं सभी दुकान Owners/Occupiers को मेन्टीनेन्स सर्विसेज प्रदान करने के लिए, AA CBD Maintenance Services Private Limited, Registered Office, Flat No.- 9D, CBD East, Delhi-110092 (AA CBD) को नॉमिनेटेड मेन्टीनेन्स एजेन्सी नियुक्त किया गया था।

प्रोजेक्ट हैण्डओवर के समय कम्पनी के पास जल एवं वायु सहमति प्राप्त थी। जल एवं वायु सहमति **संलग्नक–3** के तौर पर संलग्न है।

हम आपको यह भी बताना चाहते है कि आदित्य सिटी सेन्टर में आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन का पंजीकरण भी हो चुका है। जिसका पंजीकरण संख्या 276/63416M है तथा जिसका कार्यालय BF-36, Aditya Mall, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 में स्थित है। उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट में एसोसिएशन का गठन होने के उपरान्त कॉमन एरिया, फैसिलिटीज एवं अमेनिटीज की जिम्मेदारी एसोसिएशन की है।

आपके उपरोक्त पत्र में आदित्य सिटी सेन्टर में 1500 के0वी0ए0 एवं 600 के0वी0ए0 क्षमता के जो 2 जेनरेटर स्थापित होने का कथन किया गया है, उनके बारे में हमनें AA CBD Maintenance Services Private Limited से पता किया तो यह पता चला कि आदित्य सिटी सेन्टर में 1500 के0वी0ए0 एवं 500 के0वी0ए0 क्षमता के 2 जेनरेटर्स एक अन्य कम्पनी Third Wave Services Private Limited, 30/1, Ashoka Road, Windsor Shipra Suncity, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh के द्वारा अभी केवल रखे गये है, ये जेनरेटर्स न तो अभी Installed हुए है और न ही इनसे संचालन शुरू हुआ है। 600 के0वी0ए0 क्षमता का कोई भी जेनरेटर नहीं रखा गया है। ये जेनरेटर्स Third Wave Services Private Limited के द्वारा किराये पर चलाने के लिए रखे गये है। इन जेनरेटर्स का संचालन Clean Fuel PNG के माध्यम से किया जायेगा। DG Set के लिए चिमनी का कार्य प्रगति में है तथा DG के संचालन से पूर्व चिमनी का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा, इन जेनरेटर्स के बिल, इंजिन टेस्ट प्रमाण पत्र, टेस्ट सर्टिफिकेट/सर्टिफिकेट ऑफ कन्फरमिटी **संलग्नक–4** के तौर पर संलग्न है।

आदित्य सिटी सेन्टर के कम्पलीशन के समय परियोजना से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना करने की कम्पनी को कोई आवश्यकता नहीं थी एवं परियोजना से जनित उत्प्रवाह को सीवर लाईनों के द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा इन्दिरापुरम में स्थापित 56 एम0एल0डी0 एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किया गया तथा उपरोकत प्रोजेक्ट से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण एवं शुद्धिकरण का कार्य उपरोक्त सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के द्वारा किया जा रहा है तथा इसका रख–रखाव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा आपके कार्यालय को इस सम्बन्ध में जारी पत्रांक 177/4/सी0ई0/08 दिनांक 03.10.2008 **संलग्नक–5** के तौर पर संलग्न है।

चूँकि उपरोक्त प्रोजेक्ट में स्थित फ्रीहोल्ड दुकानों का विक्रय हो चुका है और सभी दुकानदार अपनी–अपनी दुकान के Owner/Occupier है। जिनके संचालन में कम्पनी एवं नॉमिनेटेड मेन्टीनेन्स एजेन्सी का कोई हस्ताक्षेप नहीं है।

हमारी यह प्रार्थना है कि आदित्य मेगा सिटी में स्थित कॉमन एरिया, फैसिलिटीज एवं अमेनिटीज, जेनरेटर के संचालन, रख–रखाव तथा जल एवं वायु सहमति इत्यादि के सम्बन्ध में, आदित्य मेगा सिटी रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को तथा आदित्य सिटी सेन्टर में स्थित कॉमन एरिया, फैसिलिटीज एवं अमेनिटीज, जेनरेटर के संचालन, रख–रखाव तथा जल एवं वायु सहमति इत्यादि के सम्बन्ध में, आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन को सम्पर्क करने का कष्ट करें।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह निवेदन है कि आपके उपरोक्त पत्र का निस्तारण करने का कष्ट करें यदि आपके उपरोक्त पत्र का निस्तारण करने के लिए किसी अन्य जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता है तो हमें सूचित करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद!

प्रार्थी

मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 454/NGT-176/2023 दिनांक 17/06/2023

सेवा में,

अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक
आदित्या बिल्डर्स एण्ड डबलपर्स,
10, न्यू राजधानी इन्क्लेव, विकास मार्ग,
दिल्ली–110092

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290 / 2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 290 / 2023 Shubham Jasia Versus State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 को निम्न आदेश आदेश पारित किये गये हैः–

"Grievance in this application is against operation of D.G. set at Aditya Mega City, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad which is resulting in air pollution causing potential health hazards to the citizens. The applicant has referred to earlier orders of this Tribunal dated 08.04.2021 in O.A. No. 681/2018 dealing with air pollution in non-attainment cities. The tribunal noted the potential pollution by the DG sets and need for remedial action. The applicant has also filed photographs in support of the allegation....."

उक्त आदेश के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान सोसायटी में 04 डी0जी0 सेट क्षमता 500 के0वी0ए0 के 03 एवं 600 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट एवं आदित्या सिटी सेन्टर मॉल में 1500 के0वी0ए0 एवं 600 के0वी0ए0 क्षमता के 02 डी0जी0 स्थापित पाये गया। निरीक्षण के समय डी0जी सेटों पर मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नही पायी गयी। निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की सहमति जल एवं वायु प्राप्त नही करायी गयी। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट स्थापित नही है, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे आपको निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे अपनी कार्ययोजना 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. परियोजना का संचालन राज्य बोर्ड से नियमानुसार जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना न किया जाये।
2. परियोजना द्वारा यदि राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी हो, तो उक्त की छायाप्रतियों सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित करें।

उक्त बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा मे निर्धारित समयावधि मे अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा मे परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क अधिरोपित करते हुए वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय आपका होगा।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक – 1

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

आदेश :–

आदित्य मेगा सिटी रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन व प्रमोटर के मध्य कॉमन एरिया फैसिलिटीज के हस्तांतरण एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में आर0डब्ल्यू0ए0 के पत्र दिनांक–14.3..12 व 29.3.12 के कम में दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु दिनांक– 16.4.12 को कार्यालय में बुलाया गया, जिसमें आर0डब्ल्यू0ए0 के पदाधिकारी उपस्थित हुए किन्तु विकासकर्ता उपस्थित नहीं हुए। पुनः सुनवाई हेतु दिनांक– 26.4.12, 15.5.12 एवं 25.5.12 निर्धारित की गई, जिसमें विकासकर्ता उपस्थित नहीं हुए। दिनांक– 30.5.12 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय लिया गया कि आर0डब्ल्यू0ए0 द्वारा कॉमन फैसिलिटीज को आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तान्तरित किए जाने पार्किग आवंटित किए जाने बेसमेंट में लीकेज एवं गारवेज निस्तारण सम्बन्धी समस्या का समाधान किए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

एतद द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि मै0 अग्रवाल एसोसिएटस प्रमोटर्स लि0 एक सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अपना डिक्लीयरिफिकेशन प्रस्तुत करें। उ0 प्र0 अपार्टमेंट रूल्स में जारी डिक्लीयरिफिकेशन का प्रारूप आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त हैण्डिंग ओवर के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए एवं पार्किंग आवंटित किए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 30.6.12 तक अवगत कराया जाए। उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के प्राविधानों के अनुसार अब प्रश्नगत अपार्टमेंट के कॉमन एरिया व उसके मैंटीनेन्श से सम्बन्धित अधिकारों को आदेशित दिनांक तक आर0डब्ल्यू0ए0 को हस्तगत नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इन्हें स्वतः हस्तगत माना जाएगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए एवं कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
पी.सी.एस.
विशेषाधिकारी,
(सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकृत)

पृष्ठांकन सं0– 347(ii)/ नि0प्रा0अनु0/12 दिनांक– 13/6/12
प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2. जनरल सैकेटरी, आर0डब्ल्यू0ए0, आदित्य मेगा सिटी, प्लाट न0–3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम गाजियाबाद को सूचनार्थ।
3. मैनेजिंग डायरेक्टर, मै0 अग्रवाल एसोसिएटस प्रमोटर्स लि0, 10–राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग,नई दिल्ली को उ0प्र0 अपार्टमेंट नियमावली की प्रति संलग्न करते हुए दिए गए आदेश पर आवश्यक अनुपालन हेतु।

13/6/12

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेषाधिकारी

संलग्नक-2

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

भवन सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र

पत्रांक 261 /मास्टर प्लान अनुभाग/2010 दिनांक 31/7/10

सेवा में

मै0 अग्रवाल एसोसिएटस प्रमोटर्स लि0,
10, न्यू राजधानी एन्क्लेव,
विकास मार्ग, दिल्ली–110092

विषय:– भूखण्ड संख्या–3, वैभवखण्ड, इन्दिरापुरम के भवन सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2010 के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या–3, वैभवखण्ड, इन्दिरापुरम पर स्वीकृत मानचित्र संख्या 83/टी0एच0ए0/जोन–3/2004–05 दिनांक 25.01.2005 व 1226/टी0एच0ए0/जोन–3/ जी0एच0/2005–06 दिनांक 06.10.2006 के क्रम में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किये गये निर्माण को प्रवर्तन खण्ड के पत्रांक 122/जोन–3/प्रवर्तन/ जी0डी0ए0/2007 दिनांक 12.12.2007, पत्रांक 204/प्रवर्तन/जी0डी0ए0/2010 दिनांक 06.04.2010 व पत्रांक 297/प्रवर्तन/ जी0डी0ए0/2010 दिनांक 02.06.2010 के द्वारा शमन किया जा चुका है। उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 17.07.2010 के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन भवन सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:–

1– पूर्व में स्वीकृत मानचित्र व शमन मानचित्र की शर्तों का पालन करना होगा।
2– अग्नि शमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
3– भवन की संरचना सुरक्षा एवं सभी उपकरणों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वंय निर्माणकर्ता का होगा।
4– किसी भी विपरीत स्थिति में होने वाली समस्त प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
5–भविष्य में प्राप्त होने वाले समस्त शासनादेशों एवं प्राधिकरण बोर्ड बैठक के निर्णयों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। प्राधिकरण द्वारा यदि भविष्य में बढ़े विकास व्यय या कोई अन्य व्यय की मांग की जाती है तो वह शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
6– दिये गये शपथ पत्रों की समस्त शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
7–मानचित्र में दर्शित उपयोग के विपरीत उपयोग करने पर सम्पूर्ति प्रमाण पत्र की वैधता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
8–रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सदैव कियाशील रखे जाने की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
9–किये गये वृक्षारोपण में वृक्षों के रखरखाव एवं भवनों/ परिसर के अनुरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी। यदि रोपित वृक्ष नष्ट होते हैं तो सम्पूर्ति प्रमाण पत्र की वैधता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
10–प्राधिकरण द्वारा निष्पादित डीड की शर्तो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
11–एम0एल0यू0 (मिक्स लैण्ड यूज) अपार्टमेन्टस व पेट्रोल पम्प की सम्पूर्ति प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।

(जी0 एस0 गोयल)
मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

78

49 संलग्नक-3

क्षेत्रीय कार्यालय फोन : 2883720

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद पंजीकृत

संदर्भ संख्या 2294/A-473/11 दिनांक 29-8-11

सेवा में,

मैसर्स
आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएटस (प्रमोटर्स) लि0)
प्लाट नं0 सी.जी.एच.-3, वैभव खण्ड, इन्द्रिरापुरम,
गाजियाबाद।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक ....शून्य.......... दिनांक ~~30-06-2011~~.......... के साथ संलग्न आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक ....134.......... दिनांक ....29-8-11.......... संलग्न हैं। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं0 1,2,3,5,6,11,12 .... पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तो तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।

3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वीं नाच या कोई मापक यंत्र लगवायें, वी नाच की मापी गई सूचनायें तथा कैलीब्रेशन चार्ट समय - समय पर प्रेषित करें।

4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाईन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रषित करें।

5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष ....2010-2011...... की बैलेसशीट की प्रतिलिपि या चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।

6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।

7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थो को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हों।

9. उचित मात्रा में वृक्षरोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेंजे।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

11- इकाई द्वारा बोर्ड से निर्गत NOC की शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाए। ठोस उत्प्रवाह का समुचित निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए।

12- परिसर से जनित ठोस अपशिष्ट/M.S.W का समुचित निस्तारण किया जाए तथा इसका दैनिक रिकार्ड मेंटेन कर त्रैमासिक विवरण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए।

इस सहमति आवेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वार्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

पु0 सं0 ....

तद् दिनांक ....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त एक), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

कवेल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान / बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या 134 सहमति/जल आदेश/ A-473 लखनऊ, दिनांक 29-8-11

विषय : मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि0), सी.जी.एच.-3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद। को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25 / 26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या शून्य दिनांक 30-06-2011

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहि:श्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में उक्त को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिस्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुऐं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 30-06-2011 से 31-12-2012 के लिए मान्य होगी। "यह सहमति इक्तीस दिसम्बर दो हजार बारह तक मान्य है"

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/ सभी शर्तों पर पुन: विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

4. यह सहमति आदेश व्यवसायिक गतिविधियॉ, मल्टी-प्लेक्स, फूड कोर्ट एवं शापिंग माल हेतु मान्य है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक

(2)

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद

सहमति आदेश से .... सहमति / दिनांक .... को संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारण होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी^{3}	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी^{3}
(i) घरेलू	604 कि0ली0/1.85	
(ii औद्योगिक	शून्य	
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के जल सहित	शून्य	
(ब) शीतलन जल	रिसाइकिल	

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह, टर्मिनल, मेनहोल, के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो

   20^0 से पर 5 दिन की बी. ओ. डी. 30 मिग्रा. /ली. से अधिक न हो

   कुल निलम्बित ठोस 100 मिग्रा. /ली. से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूने संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX 15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेंम्बर होने चाहियें। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्तें संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिए।

10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जाये।

11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल, मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बंध में एक माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथ इसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।

13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखांकित उत्प्रवाह ले जाने वाली लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9, व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखांकित इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भांति रखा जाये और किसी बिंदु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफान जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले में ढेर न लगाया जायें।

15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिसमें कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।

(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाए।

16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरिक्षत क्षेत्रों में मुहरबंद स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जायें। विषमुक्त करने या दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाऐ।

17. यदि फैक्टरी के किसी संयंत्र / संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और / या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लघंन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।

18. प्रार्थी फैक्टी के अन्दर व परिसर में अच्छा रख रखाव स्थापित करें / सभी पाइप, बल्ब, सीवर और ड्रन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती / तूफानी जल की नाली या खुलेस्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति में दिए गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करें। प्रार्थी/ कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/ या इस सहमति ओदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदलें या परिवर्तन न करें।

23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।

24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिंदु के चालू होने और/ या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लोन सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।

27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।

28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पतें व टेलीफोन की सूची दी जाए।

29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वार्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय फोन : 2883720

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सैक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

संदर्भ संख्या 2290/ए-4731/11 पंजीकृत

सेवा में, दिनांक 29.8.11

मै0 आदित्या मैगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएटस (प्रमोटर्स) लि0)
प्लाट नं0 सी.जी.एच.-3, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम्
गाजियाबाद ।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा –21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने पत्र दिनांक 30–06–2011 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और सशर्त सहमति आदेश संख्या .... सहमति (वायु) आदेश/ 141 दिनांक 29.8.11 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1,2,3,4,6,7,14,16 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तो एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिचिश्त करें।
2. 1000/500/300 के0 बी0 ए0 क्षमता के डी0 जी0 सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से 6.5/4.5/4.0 मी0 ऊँचाई किया जाए। अनुपालन एक माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. फ्लू गैस/प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु की गुणता की अनुश्रवण आख्या इस प्राप्ति के .... माह के अन्दर प्रषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे एकोस्टिक एनक्लोजर एवं चिमनी का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाए, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप हों।
5. इस प्रत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रवूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं उत्सर्जन की मात्रा के लिए मान्य है।
9. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति – वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जॉच की जा सके।

10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

12. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

13. रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जायें।

14. पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

15. ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण हेतु डी0जी0 सेट पर एक्वास्टिक इन्क्लोजर स्थापित किया जाये।

16- इकाई/संस्था द्वारा सभी फ्लेयरों के उत्सर्जन बिन्दुओं को बोर्ड मानकों के अनुरूप ऊँचा किए जाने हेतु प्रस्तुत कार्य योजना के अनुसार कार्य को तीन माह के पूर्ण कर, ध्वनि एवं वायु अनुश्रवण आख्या तीन माह में प्रस्तुत की जाए/अन्यथा यह सहमति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने को अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या ..../वायु प्रदूषण ....तद् दिनांक ....

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत एक) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
फोन : 2883720
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सैक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 146/सहमति (वायु) आदेश/ 4993 लखनऊ, दिनांक 29-8-11

विषय : सहमति मै0 आदित्या मैगा सिटी(अग्रवाल एसोसिएटस(प्रमोटर्स) लि.),सी.जी.एच.-3,वैभव खण्ड, इन्द्रिरापुरम, गाजियाबाद।

वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा -21/22 के अन्तर्गत

संदर्भ :- आवेदन संख्या शून्य दिनांक 30-06-2011

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 उपरा को अपने संयंत्रो से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 30-06-2011 से 31-12-2012 अवधि तक मान्य है।

"यह सहमति इक्तीस दिसम्बर दो हजार बारह तक मान्य है"

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा 21 (6) में तथा संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड के लिए आरक्षित है।

4. यह सहमति आदेश व्यवसायिक गतिविधियों, मल्टी-प्लेक्स, फूड कोर्ट एवं शापिंग माल हेतु मान्य है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अथवा अधिकृत।

संलग्नक : अनुलग्नक

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

गाजियाबाद

संलग्नक सहमति आवेश संख्या ....सहमति (वायु) ओवश/..............................

दिनांक........................

सहमति शर्ते

1. फ्लू गैस की प्रति घंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होनी चाहिए।

सम्बद्ध चिमनी

[i] – डी0 जी0 सेट –1000 KVA X 1 Nos = छत से 6.5 मीटर

[ii] " " 500 KVA X 3 Nos = छत से 4.5 मीटर

[iii] " " 380 KVA X 2 Nos = छत से 4.0 मीटर

[iv]

[v]

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न बोर्ड मानकों के अनुरूप हो:-

मानक संलग्न

[i]	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट (एस.पी.एम.)	150 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंग कापर आदि) हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड, सल्फेट मिन्ट	
[iii]	सल्फर डाई आक्साइड	–
[iv]	कार्बन मोनोआक्साइड	–
[v]	हाइड्रोकार्बन	–
[vi]	अमोनिया	–
[vii]	फ्लोरीन	–
[viii]	मरकैप्टेन	–
[ix]		–

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालको की मात्रा भी मानकों के अनुरूप है।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु सयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण सयंत्रो को कार्यरत में, इकाई में रखा जाये।

7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।

8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाये।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10. किसी दुघर्टना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा - 29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा - 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त किसी "अन्य आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा की इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15. आवेदनकर्त्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों / आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश / निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता/ इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जायेगी।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता / बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण सयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुन: विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-4

Tax Invoice

(Original For Recipient)

JAKSON

Name	:	JAKSON LIMITED
Address	:	PLOT NO 5-A TO 10-A & 6-B, KATHUA, 184102
State Code	:	01 (JAMMU AND KASHMIR)
Our Ref. No.	:	9000001116
GSTIN/UIN	:	01AAACJ5347C1Z7
PAN	:	AAACJ5347C
Customer PO	:	TWS/JL/23-24/002
CustomerPODate	:	27.04.2023
Currency	:	INR

Invoice No	:1P0523000089
Invoice Date	:12.05.2023
SO No	:8100000821
SO Date	:05.05.2023
Transporter	:RITCO LOGISTICS LTD.
LR No	:26863618
LR Date	:12.05.2023
Vehicle No	:PB65AR5738
EWB No.	:341599433061
EWB Date.	:2023-05-12
Place of Supply	:09 UTTAR PRADESH

Billed to	:	**10005085**
Name & Address	:	THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED ,30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India,
Email	:	up@thirswavwservices.com
State	:	UTTAR PRADESH
State Code	:	09
GSTIN/UIN	:	09AABCT3575F2Z7
PAN	:	AABCT3575F

Shipped to	:	**10005085**
Name & Address	:	THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED ,30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India, 201014 ,
Email	:	up@thirswavwservices.com
State	:	UTTAR PRADESH
State Code	:	09
GSTIN/UIN	:	09AABCT3575F2Z7
PAN	:	AABCT3575F

SrN	Description of Goods	HSN/SAC	Qty.	UOM	Rate	Discount	Taxable value	Taxes	
								Rate (%)	Amount
1	11000162 GENERATING_SET-SPL SPL 1500 KVA DIESEL GENERATING SET 1500 KVA / 1200 KW ELECTRIC GENERATING SET SILENT TYPE CONSISTING OF COMPONENTS AS PER CHALLAN ENCLOSED Marine Cargo Open Policy covered under ' Tata AIG General Insurance Company Limited. Policy No.: 0865091182 01 Dated 01.04.2023 - 31.03.2024 (Sr No. CJJ05231001525)	85021320	1.000	NOS	9,700,000.00	0.00	9,700,000.00		
							IGST	18.00	1,746,000.00
	Total					0.00	9,700,000.00		
							Total IGST		1,746,000.00
	Total Invoice Value (In Figure)								11,446,000.00 INR
	Total Invoice Value (In Word)	ONE CRORE FOURTEEN LAKH FORTY SIX THOUSAND RUPEES							

Payment Term:	Z510(100% adv)
Freight:	PAID

Head Office : Jakson Limited, A 43, Hosiery Complex, Phase-2, NOIDA 201305, Email: info@jakson.com, Website: www.jakson.com

Registered Office : JAKSON LIMITED, 626, SIXTH FLOOR, TOWER - A DLF TOWER,JASOLA, NEW DELHI. 110025, CIN: U74899DL1997PLC088808

(Original For Recipient)

Tax Invoice

JAKSON

Name	: JAKSON LIMITED	Invoice No	:1P0523000089
Address	: PLOT NO 5-A TO 10-A & 6-B, KATHUA, 184102	Invoice Date	:12.05.2023
		SO No	:8100000821
		SO Date	:05.05.2023
State Code	: 01 (JAMMU AND KASHMIR)	Transporter	:RITCO LOGISTICS LTD.
Our Ref. No.	: 9000001116	LR No	:26863618
GSTIN/UIN	: 01AAACJ5347C1Z7	LR Date	:12.05.2023
PAN	: AAACJ5347C	Vehicle No	:PB65AR5738
Customer PO	: TWS/JL/23-24/002	EWB No.	:341599433061
CustomerPODate:	27.04.2023	EWB Date.	:2023-05-12
Currency	: INR	Place of Supply	:09 UTTAR PRADESH

Billed to	: 10005085	Shipped to	: 10005085
Name & Address :	THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED ,30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India,	Name & Address :	THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED , 30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India, 201014 ,
Email	: up@thirswavwservices.com	Email	: up@thirswavwservices.com
State	: UTTAR PRADESH	State	: UTTAR PRADESH
State Code	: 09	State Code	: 09
GSTIN/UIN	: 09AABCT3575F2Z7	GSTIN/UIN	: 09AABCT3575F2Z7
PAN	: AABCT3575F	PAN	: AABCT3575F

Insurance: BY US

Particular	Taxable Invoice value	IGST	CGST	SGST	TCS
Invoice Value	9,700,000.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00
Advance received	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance	9,700,000.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00

1. Goods once sold will not be taken back on any account in case of future assessment of Tax on this transaction by the authorotics the tax levied will be recovered from you.
2. All disputes are subject to Delhi jurisdiction only.
3. Payment be made by Cheque/Draft/RTGS/marked payee Account in the nameof Jakson Limited.
4. You shall be liable to pay interest @ 24% p.a. on delayed payment.
5. E.&O.E.

For Jakson Limited

JOGESH WAR RANA Digitally signed by JOGESHWAR RANA Date: 2023.05.13 09:41:33 +05'30'

(Authorized Signatory)

IRN:2b8f0655fa965e7222036a67b99a8def3973c925ffb2a06ec1649d796276994a

Acknowledgement No:132314871996756 Acknowledgement Date:2023-05-12

Prepared By : Deepak Singh

JAKSON Jakson Limited

Test Certificate

FOR

ELECTRIC - GENERATOR SET

KVA 1500 KW 1200 ENGINE MAKE CUMMINS

ENGINE MODEL KTA-50-G8-I A.C. GENERATOR MAKE STAMFORD

FRAME SIZE S7L1D-C41 RPM 1500 Hz 50

This is to certify that the Electric Generator Set

Model JSP-1500K having Serial No. CJJ0523100I525

has been run and found to be electrically and mechanically sound and in working order.

Date : 12/05/23

For Jakson Limited

Authorised Signatory

Registered Office :
626, 6th Floor Tower - A,
DLF Tower, Jasola
New Delhi-110044 INDIA

Works :
PLOT NO. 5A TO 10A & 6B,
IID CENTRE, GOVINDSAR,
KATHUA (J&K)-184102 INDIA

Cummins India Limited

Registerd Office : Kothrud , Pune 411 038 (India)

Engine Test Certificate

This Is to Certify that Engine Model KTA-50-G8-I *serial Number* 25484104 *has been tested using diesel as per* ISO-3046 *standard. Corrected Full Load B.H.P. to N.T.P. conditions as per the test standard is*

1735 *B.H.P. @* 1500 *R.P.M*

Date : 23/03/2023

Executive
Product Conformance

F : 4302 : 11 : 07 / P.No.503341

Cummins Generator Technologies India Private Limited.C-33 MIDC...Ahmednagar.MH.414111.IN

STAMFORD

Test Certificate

FOR

SALIENT POLE, SELF EXCITED / PMG EXCITED AND SELF REGULATED AC GENERATOR

Machine No. **N23B052935**

Type Test has been conducted on similar design machine
STANDARDS: Generator generally conforms to BS 5000 : Part 3,
Tested in accordance with BS EN 60034-1/IS/IEC 60034-1
Rotor dynamically balanced to BS ISO 1940 - 1

ROUTINE TEST CERTIFICATE FOR BRUSHLESS AC GENERATOR:

FRAME: S7L1D-C41	**AVR:** None	**AVR NO:** n/a	**ENCLOSURE:** IP23	
RATED KVA: 1500	**RATED VOLTS:** 415	**RATED AMPS:** 2086.8	**FREQUENCY:** 50	**PHASE:** 3
POWER FACTOR: 0.8	**STR CONN:** Star	**STR WINDING:** 312	**DUTY:** Base Continuous	**WIRE:** 4-Wire
EXC. VOLTS: 70	**EXC.AMPS:** 2.8	**AMB TEMP:** 40		

FOR 3 PHASE SEQUENCE LOOKING FROM DRIVE END FOR CLOCKWISE ROTATION :U-V-W

WINDING	COLD RESISTANCE IN Ohm(+/- 10 %) AT 22°C (MAX VALUES)	INSULATION RESISTANCE (M- Ohm)	HV TEST 2KV FOR 1 MIN	INSULATION CLASS
STATOR (Phase to Phase)	0.001145	2+	OK	H
ROTOR	1.69	2+	OK	H

REGULATION TEST

FREQ.	VOLTS	AMPS	KVA	PF	KW	EXC.VOLT	EXC.AMP	% LOAD
52	416.4	0.00	0.00	0.00	0.00	13.8	0.61	0.00
50	415	2086.8	1500	0.8	1200	70	2.8	100.00

REGULATION = (N.L.VOLTAGE-F.L.VOLTAGE / RATED VOLTAGE)*100 = 0.34 %

Item Description: AC Generator.S7L1D.4.C.1.312.,0,.,18,.None.Thierry Green
Remarks:

Date: 05-FEB-23	Job No: 4985625-002	AUTHORISED BY **Rahul Kumar R Kushwaha** Quality Assurance

Certificate Of Conformity

Quality System Certification
ISO 9001:2015

Frame Size : S7L1D-C41

Serial Number : N23B052935 **Manufactured Date : 05-FEB-23**

KVA: 1500

Authorized By Quality Assurance: **Rahul Kumar R Kushwaha**

This document is electronically generated, hence signature not required. **Print Date: 05-FEB-23**

(Original For Recipient)

Tax Invoice

JAKSON

Name : JAKSON LIMITED	Invoice No :1P0523000071
Address : PLOT NO 5-A TO 10-A & 6-B, KATHUA, 184102	Invoice Date :08.05.2023
	SO No :8100000823
	SO Date :05.05.2023
State Code : 01 (JAMMU AND KASHMIR)	Transporter :MRC LOG.(I)P.LTD.
Our Ref. No. : 9000000999	LR No :34018484075
GSTIN/UIN : 01AAACJ5347C1Z7	LR Date :08.05.2023
PAN : AAACJ5347C	Vehicle No :JK08C5417
Customer PO : TWS/JL/23-24/004	EWB No. :301597504255
CustomerPODate: 02.05.2023	EWB Date. :2023-05-08
Currency : INR	Place of Supply :09 UTTAR PRADESH

Billed to : 10005085	**Shipped to : 10005085**
Name & Address : THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED ,30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India,	Name & Address : THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED , 30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India, 201014 ,
Email : up@thirswavwservices.com	Email : up@thirswavwservices.com
State : UTTAR PRADESH	State : UTTAR PRADESH
State Code : 09	State Code : 09
GSTIN/UIN : 09AABCT3575F2Z7	GSTIN/UIN : 09AABCT3575F2Z7
PAN : AABCT3575F	PAN : AABCT3575F

SrN	Description of Goods	HSN/SAC	Qty.	UOM	Rate	Discount	Taxable value	Taxes	
								Rate (%)	Amount
1	11000015 GENERATING_SET-SPL SPL 500 KVA DIESEL GENERATING SET 500 KVA / 400 KW ELECTRIC GENERATING SET SILENT TYPE CONSISTING OF COMPONENTS AS PER CHALLAN ENCLOSED Marine Cargo Open Policy covered under ' Tata AIG General Insurance Company Limited. Policy No.: 0865091182 01 Dated 01.04.2023 - 31.03.2024 (Sr No. CJJ05231001307 Engine Sr No. 25477449)	85021310	1.000	NOS	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00		
							IGST	18.00	545,400.00
	Total					0.00	3,030,000.00		
							Total IGST		545,400.00
	Total Invoice Value (In Figure)	3,575,400.00 INR							
	Total Invoice Value (In Word)	THIRTY FIVE LAKH SEVENTY FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED RUPEES							

Payment Term: Z510(100% adv)

Freight: PAID

Head Office : Jakson Limited, A 43, Hosiery Complex, Phase-2, NOIDA 201305, Email: info@jakson.com, Website: www.jakson.com

Registered Office : JAKSON LIMITED, 626, SIXTH FLOOR, TOWER - A DLF TOWER JASOLA, NEW DELHI, 110025, CIN: U74899DL1997PLC088808

(Original For Recipient)

Tax Invoice

JAKSON

Name	: JAKSON LIMITED	Invoice No	:1P0523000071
Address	: PLOT NO 5-A TO 10-A & 6-B, KATHUA, 184102	Invoice Date	:08.05.2023
		SO No	:8100000823
		SO Date	:05.05.2023
State Code	: 01 (JAMMU AND KASHMIR)	Transporter	:MRC LOG.(I)P.LTD.
Our Ref. No.	: 9000000999	LR No	:34018484075
GSTIN/UIN	: 01AAACJ5347C1Z7	LR Date	:08.05.2023
PAN	: AAACJ5347C	Vehicle No	:JK08C5417
Customer PO	: TWS/JL/23-24/004	EWB No.	:301597504255
CustomerPODate:	02.05.2023	EWB Date.	:2023-05-08
Currency	: INR	Place of Supply	:09 UTTAR PRADESH

Billed to	: **10005085**	**Shipped to**	: **10005085**
Name & Address:	THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED ,30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India,	Name & Address:	THIRD WAVE SERVICES PRIVATE LIMITED , 30/1, ASHOKA ROAD,, WINDSOR SHIPRA SUNCITY INDIRAPURAM,, GHAZIABAD, GHAZIABAD,UTTAR PRADESH, India, 201014 ,
Email	: up@thirswavwservices.com	Email	: up@thirswavwservices.com
State	: UTTAR PRADESH	State	: UTTAR PRADESH
State Code	: 09	State Code	: 09
GSTIN/UIN	: 09AABCT3575F2Z7	GSTIN/UIN	: 09AABCT3575F2Z7
PAN	: AABCT3575F	PAN	: AABCT3575F

Insurance: BY US

Particular	Taxable Invoice value	IGST	CGST	SGST	TCS
Invoice Value	3,030,000.00	545,400.00	0.00	0.00	0.00
Advance received	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance	3,030,000.00	545,400.00	0.00	0.00	0.00

1. Goods once sold will not be taken back on any account in case of future assessment of Tax on this transaction by the authoroties the tax levied will be recovered from you.
2. All disputes are subject to Delhi jurisdiction only.
3. Payment be made by Cheque/Draft/RTGS/marked payee Account in the nameof Jakson Limited.
4. You shall be liable to pay interest @ 24% p.a. on delayed payment.
5. E.&O.E.

For Jakson Limited

JOGESHWAR RANA Digitally signed by JOGESHWAR RANA Date: 2023.05.09 12:40:10 +05'30'

(Authorized Signatory)

IRN:9b7cee82979a4249605a0aa9c671c3b1467a24074baca57d074f2603b18c4414

Acknowledgement No:132314830901223 Acknowledgement Date:2023-05-08

Prepared By : Deepak Singh

Head Office : Jakson Limited, A 43, Hosiery Complex, Phase-2, NOIDA 201305, Email: info@jakson.com, Website: www.jakson.com

Registered Office : JAKSON LIMITED, 626, SIXTH FLOOR, TOWER - A DLF TOWER,JASOLA, NEW DELHI, 110025, CIN: U74899DL1997PLC088808

JAKSON **Jakson Limited**

Test Certificate

FOR

ELECTRIC - GENERATOR SET

KVA 500 KW 400 ENGINE MAKE CUMMINS

ENGINE MODEL KTAA19-G10 A.C. GENERATOR MAKE STAMFORD

FRAME SIZE HCI544D1 RPM 1500 Hz 50

This is to certify that the Electric Generator Set

Model JSP-500K having Serial No. CJJ05231001307

has been run and found to be electrically and mechanically sound and in working order.

Date : 08/05/23

For Jakson Limited

Authorised Signatory

Registered Office :
626, 6th Floor Tower - A,
DLF Tower, Jasola
New Delhi-110044 INDIA

Works :
PLOT NO. 5A TO 10A & 6B,
IID CENTRE, GOVINDSAR,
KATHUA (J&K)-184102 INDIA

Cummins India Limited

Registered Office : Kothrud, Pune 411 038 (India)

Engine Test Certificate

This is to certify that Engine Model KTAA-19-G10 serial Number 25477449 has been tested using diesel as per ISO-3046 standard. Corrected Full Load B.H.P. to N.T.P. conditions as per the test standard is

587 B.H.P. @ 1500 R.P.M.

Date : 04/08/2022

For

Executive

Product Conformance

F : 4302 : 11 : 07 / P.No. 503341

Cummins Generator Technologies India Private Limited.C-33 MIDC...Ahmednagar.MH.414111.IN

STAMFORD

Test Certificate

FOR
SALIENT POLE, SELF EXCITED / PMG EXCITED AND SELF REGULATED AC GENERATOR
Machine No. N22J404179

Type Test has been conducted on similar design machine
STANDARDS: Generator generally conforms to BS 5000 : Part 3,
Tested in accordance with BS EN 60034-1/IS/IEC 60034-1
Rotor dynamically balanced to BS ISO 1940 - 1

ROUTINE TEST CERTIFICATE FOR BRUSHLESS AC GENERATOR:				
FRAME: HCI544D1	AVR: None	AVR NO: NA	ENCLOSURE: IP23	
RATED KVA: 500	RATED VOLTS: 415	RATED AMPS: 695.6	FREQUENCY: 50	PHASE: 3
POWER FACTOR: 0.8	STR CONN: Series Star	STR WINDING: 311	DUTY: Base Continuous	WIRE: 4-Wire
EXC. VOLTS: 48	EXC.AMPS: 2.3	AMB TEMP: 40		

FOR 3 PHASE SEQUENCE LOOKING FROM DRIVE END FOR CLOCKWISE ROTATION :U-V-W

WINDING	COLD RESISTANCE IN Ohm(+/- 10 %) AT 22°C (MAX VALUES)	INSULATION RESISTANCE (M- Ohm)	HV TEST 2KV FOR 1 MIN	INSULATION CLASS
STATOR (Phase to Phase)	0.01212	2+	OK	H
ROTOR	1.904	2+	OK	H

REGULATION TEST

FREQ.	VOLTS	AMPS	KVA	PF	KW	EXC.VOLT	EXC.AMP	% LOAD
52	416.4	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.55	0.00
50	415	695.6	500	0.8	400	48	2.3	100.00

REGULATION = (N.L.VOLTAGE-F.L.VOLTAGE / RATED VOLTAGE)*100 = 0.34 %

Item Description: AC Generator.HC5.4.D.1.311.,0,.,14,.None.Onan Green
Remarks:

Date: 03-OCT-22

Job No: 4406633-001

AUTHORISED BY
Dhananjay G Borse
Quality Assurance

Certificate Of Conformity

Quality System Certification
ISO 9001:2015

Frame Size : **HCI544D1**
Serial Number : **N22J404179** Manufactured Date : 03-OCT-22
KVA: **500**

Authorized By Quality Assurance: **Dhananjay G Borse**

This document is electronically generated, hence signature not required. **Print Date: 03-OCT-22**

संलग्नक–5

FROM : FAX NO. : Oct. 03 2008 03:30PM P1

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रेषकः

मुख्य अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आई0एन0एस0–2 सैक्टर–16 वसुन्धरा,
गाजियाबाद।

पत्रांक 177 /4/सी0ई0/08 दिनांक 3/X/2008

विषयः मै0 अग्रवाल एसोसियेटस प्रमोटर्स प्रा0लि0, प्लॉट संख्या–3 वैभव खण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण एवं शुद्धिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 अग्रवाल एसोसियेटस प्रमोटर्स प्रा0लि0 के आदित्य मेघा सिटी प्लॉट नं–3 वैभव खण्ड इन्दिरापुरम योजना के घरेलू उत्प्रवाह (गणना की प्रति–) को सीवर लाईनों द्वारा इन्दिरापुरम के 56 एम0एल0डी0 एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किया गया है जो समस्त इन्दिरापुरम परियोजना के सीवर को शुद्धिकरण एवं निस्तारण के दृष्टिगत डिजाईन किया गया है तथा इसका रखरखाव नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है।

भवदीय

(अनिल गर्ग)
मुख्य अभियन्ता